कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-18.01.2025

विषय:- कुल 430 अदद कछुओं (अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये) के साथ 01 नफ़र अंतर्राज्यीय कछुआ तस्कर थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा "आपरेशन चक्रव्यूह" के तहत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 नफ़र अभियुक्त रबिन्द्र कुमार उर्फ रवन पुत्र स्व0 सियाराम कश्यप निवासी ग्राम बख्तियार नगर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ को आज दिनांक-18.01.2025 को समय करीब 05.45 बजे लहरतारा गेट नं0-04 फ्लाई ओवर पिलर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद बैग में भिन्न-भिन्न प्रजाति के छोटे-बड़े कुल 430 अदद कछुए बरामद हुए । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-0023/2025 धारा 9/39/48A/49/51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त रबिन्द्र कुमार उर्फ रवन ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं अपने गाँव के आस-पास तालाब व पोखरों से जिन्दा कछुआ इकट्ठा करके घर पर रखता हूँ और जब ये अधिक मात्रा में हो जाते हैं तब इनको ले जाकर राँची (झारखण्ड) में ऊँचे दामों पर बेचकर अच्छा पैसा कमाता हूँ। इन कछुओं को बेचने के लिए मैं आलमबाग बस अड्डे से वाराणसी आया था और फिर यहाँ से मैं राची (झारखण्ड) जाने के लिए अगली बस का इन्तजार कर रहा था कि अचानक आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रबिन्द्र कुमार उर्फ रवन पुत्र स्व0 सियाराम कश्यप निवासी ग्राम बख्तियार नगर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ, उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

दो अदद बैग में भिन्न-भिन्न प्रजाति के छोटे-बड़े कुल 430 अदद जिन्दा कछुए **(अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपये)** बरामद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- लहरतारा गेट नं0-04 फ्लाई ओवर पिलर के पास से, दिनांक-18.01.2025 को समय करीब 05.45 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-0023/2025 धारा 9/39/48A/49/51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

गिरफ़्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 भरत उपाध्याय थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।
2. उ0नि0 पवन कुमार थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।
3. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।
4. हे0का0 विनोद कुमार सरोज थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।
5. का0 अवधेश कुमार थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।